न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/157 **दायरा दिनांक : 13.09.2022**

उनवान

प्रेमलता गोयल आयु 69 वर्ष पत्नी श्री महेन्द्र कुमार, जाति महाजन, निवासी बृजमोहन सुखदेव किराना व्यापारी मार्केट बारां, तहसील बारां, जिला बारां राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र प्रभूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०
2. रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०
3. कुन्जबिहारी पुत्र प्रभूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज० – मृतक
   - 3/1– रवि शर्मा पुत्र स्व० कुन्जबिहारी, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०
   - 3/2– रानू शर्मा पुत्र स्व० कुन्जबिहारी, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०
   - 3/3– रमा शर्मा पुत्र स्व० कुन्जबिहारी, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०
   - 3/4– कलावती शर्मा बेवा स्व० कुन्जबिहारी, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०
4. अशोक कुमार पुत्र स्व0 कुन्जबिहारी, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०
5. सनोज पुत्र स्व0 कुन्जबिहारी, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०
6. शांतिबाई बेवा गोपीबल्लभ, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०
7. ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण मुतबन्ना छीतरलाल जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०
8. नवनीतलाल पुत्र हरनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०– मृतक
   - 8/1– परमेश्वर पुत्र स्व० नवनीतलाल, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०
   - 8/2– सुरेन्द्र पुत्र स्व० नवनीतलाल, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०
   - 8/3– शिवशंकर पुत्र स्व० नवनीतलाल, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०
   - 8/4– ललित पुत्र स्व० नवनीतलाल, जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा.

तहसील बारां, जिला बारां राज०

9. शांतिबाई पुत्री हरनारायण जाति ब्राहमण जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०–मृतक
   9/1– सुरेश तिवारी पुत्र बृजमोहन, जाति ब्राहमण, निवासी मांगरोल रोड बारां, जिला बारां
   9/2– रमेश तिवारी पुत्र बृजमोहन, जाति ब्राहमण, निवासी मांगरोल रोड बारां, जिला बारां राज०
   9/3– महेश तिवारी पुत्र बृजमोहन, जाति ब्राहमण, निवासी मॉंगरोल रोड बारां, जिला बारां राज०
   9/4– इन्द्रा तिवारी पुत्री बृजमोहन,
10. अनोख बाई पुत्री हरनारायण जाति ब्राहमण, निवासी खेडली भेडोलियान, तहसील बारां, जिला बारां राज०
11. कांतिबाई पत्नी श्री बुद्धिप्रकाश, जाति माली, निवासी समसपुर, तहसील बारां, जिला बारां
12. गायत्रीबाई पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश, जाति माली, निवासी समसपुर, तहसील बारां, जिला बारां
13. जसोदाबाई पत्नि श्री रामकिशन, जाति माली, निवासी समसपुर, तहसील बारां, जिला बारां
14. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओ. पी. मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 6 व 8 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 17.07.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 13/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 7 लगायत 10 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम समसपुर, तहसील बारां में जमाबंदी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या नया 10 पुराना 13 से भूमि खसरा नं. 367 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नं. 369 रकबा 0.81 हेक्टर, खसरा नं. 370 रकबा 1.10 हेक्टर, 380 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नं. 382 रकबा 0.35

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हेक्टर, खसरा नं. 387 रकबा 0.38 हेक्टर, खसरा नं. 389 रकबा 0.64 हेक्टर, खसरा नं. 589 रकबा 6.12 हेक्टर कुल 8 किता रकबा 10.10 हेक्टर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2021 से वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील मे अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2021 न्याय कानून एवं न्यायिक संचिका के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादी/ रेस्पो0 क्रम 7 ता 10 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम समसपुर की आराजी कुल 8 किता कुल रकबा 10.10 हेक्टर भूमि को विवादित बताकर वाद प्रस्तुत किया था तथा उपरोक्त आराजियात के साबिक खसरा नम्बर तथा वादी/रेस्पो० क्रम 7 ता 10 तथा रेस्पो०/प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पूर्वजो का वर्णन कर वाद प्रस्तुत किया था जिसमे प्रतिवादी/रेस्पो० क्रम 1 ता 6 ने अपने गलत नाम का इन्द्राज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमियों का बिना बंटवारा कराये दिनांक 01.06.2005 ग्राम समसपुर की आराजी खसरा नम्बर 589 रकबा 6.12 हेक्टर में से 1/2 आराजी का बेचान अपीलांट के पक्ष में कर दिया तथा अन्य बेचानों को शून्य घोषित करने हेतु दावा प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलांट द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था परन्तु रेस्पो0 क्रम 1 ता 10 ने आपस में राजीनामा कर अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे प्रकरण का निस्तारण मुताबिक राजीनामा अपीलांट की सहमति लिये बिना राजीनामा के आधार पर निस्तारण करवा लिया जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाब एवं प्रतिदावा पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अपीलांट के प्रतिदावे का निस्तारण न कर मात्र रेस्पो० क्रम 1 ता 10 पूर्व वाद को वादी एवं रेस्पो०/ प्रतिवादीगण 1 ता 6 द्वारा एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण राजीनामा के आधार पर दावे का निस्तारण करवा लिया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को सुने बिना तथा अपनी प्रतिरक्षा का अवसर दिये बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 ता 6 से ग्राम समसपुर की आराजी खसरा नं0 589 रकबा 6.12 हेक्टर पर 1/2 हिस्सा 382500/रूपये अदा कर जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र क्रय किया था उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में होने एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 6 की जवाब दावे में स्वीकृति होने के बावजूद भी अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित करने मे गंभीर कानूनी भूल की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर बिना अपीलांट के काउन्टर क्लेम के हक तय किये बिना विधि विरूद्ध व मनमाना निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली के अभिलेख की अभिवचनों की उपेक्षा, अनदेखी कर पक्षकार प्रतिवादी क्रम 7, 8, 9, 10, 11 की उपस्थिति के बिना राजीनामा तस्दीक कर निपटारा किया है प्रतिदावा रिकार्ड पर होने से वाद का निपटारा कानूनन विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.09.2021 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांट को अपनी समुचित साक्ष्य का अवसर प्रदान कर काउन्टर क्लेम का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 30.09.2021 को राजस्व जमाबंदी में अप्रार्थीगण का नाम देखने पर हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 7 लगायत 10 ने वाद पेश किया था। हम प्रतिवादी नं. 10 हैं, प्रतिवादी नं. 7 लगायत 10 को छोड़कर वादी, प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमने अधीनस्थ न्यायालय में काउंटर क्लेम पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे काउंटर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया। प्रतिवादी 7 ता 10 को छोड़कर वादी व प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश किया। राजीनामे में हमारे नाम भी लिखवा दिये, हमने सहमति नहीं दी। अतः राजीनामा वैधानिक रूप से शून्य है। जो राजीनामा तस्दीक किया गया वह शून्य होने के कारण प्रकरण रिमाण्ड किया जाये। अपने पक्ष के समर्थन में 2024(1) सीजे (सिविल) राजस्थान, पेज 373, आरबीजे (29) 2022 पेज नं. 562, 2024(3)सीजे (सिविल) एस.सी. पेज 634 नजीरें उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जो राजीनामा पेश हुआ है उस पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता हस्ताक्षर कर सकते हैं। मूल वाद वादी व अन्य प्रतिवादियों के मध्य था। दिनांक 30.09.2021 को राजीनामा तस्दीक हुआ। दिनांक 30.09.3021 की आदेशिका पर भी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। दिनांक 30.09.2021 के निर्णय की अपील दिनांक 03.08.2022 में हुई, इस प्रकार अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में देरी का कारण अंकित नहीं किया है। नवनीतलाल व शांतिबाई की मृत्यु दौराने अपील हुई है उसके कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.02.2023 को पेश हुआ। शांति की मृत्यु 11.01.2023 को हुई है। नवनीत की मृत्यु नवम्बर 2021 में हुई है। मृतक के विरूद्ध अपील पेश की है। राजीनामे के बाद अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति नहीं की है। संशोधित निर्णय 27.02.2022 का है। प्रेमलता ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा कर दिया है। दावा करने से अपील निरस्त की जाये। दिनांक 01.06.2005 को रजिस्ट्री बताते हैं, 2006 में दावा हुआ, इनका नामान्तरकरण खारिज हुआ उसके बाद आज तक नामान्तरकरण नहीं खुला। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने पुनः बहस में कथन किया कि अपीलांट के अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण थे उनके हस्ताक्षर राजीनामे पर नहीं है। रिव्यु केवल लिपिकीय त्रुटि के लिए ही हो सकता है। दावा 15.07.2022 को किया और पूर्व के निर्णय को खारिज करने हेतु अगस्त में अपील पेश की। निर्णय में केवल बाबूलाल जैन व रमेश गोयल अधिवक्ता की ही उपस्थिति है। नामान्तरकरण इसलिए नहीं खुला क्योंकि दावे में टी. आई. जारी हो गई थी। अतः अपील स्वीकार की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट कम 7 ता 10 की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के वाद पत्र का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 30.09.2021 के आधार पर करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2021 पारित करते हुए वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा होना माना है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजीनामे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजीनामे पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है। प्रस्तुत राजीनामे पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी अंकित है। प्रतिवादीगण 7 लगायत 10 के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.09.2021 पर भी वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के ही उपस्थिति हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी अंकित है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा मय काउंटर क्लेम दिनांक ——— 14.06.2006 को पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2005 प्रदर्श 10 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 589 रकबा 6.12 हेक्टर में से प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का 1/2 हिस्सा अपीलांट द्वारा क्रय किया गया है।

राजीनामे के आधार पर वादपत्र का निस्तारण केवल तभी किया जा सकता है जब राजीनामे पर आपसी सहमति के सन्दर्भ में सभी पक्षकारों ने हस्ताक्षर अंकित करते हुए स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तथा न्यायालय द्वारा बाद पहचान उभयपक्ष विधिवत रूप से तस्दीक किया जाए। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट ने प्रस्तुत राजीनामे पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और ना ही अपीलांट न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई। अतः राजीनामे पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं होने एवं अपीलांट द्वारा न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर पारित किया गया निर्णय खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2021 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.08.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/07/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा